न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मण्डावर जिला दौसा
मु0नं0 16/2023 (T.I.)

रमेश पुत्र कपूरया जाति माली निवासी रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

– सायल

बनाम

1. रेवडी पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी भई वाला बास लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
2. राज.सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत 212 आर.टी.ए.

दिनांकः 12.04.23

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय वादपत्र पेश करते हुए निवेदन किया है कि ग्राम रानापाडा तहसील बैजूपाडा की आराजी ख.नं. 131/888, 138 लगायत 148, 150 लगायत 156, 165, 166167, 172, 174 लगायत 179, 295, 524, 527, 557 कुल 34 कुल रकबा 4.71 हैक्टर व 526, 589, 149, 525, 568, 1043/49, 561 में हिस्सा 1/16 व 50 में हिस्सा 1/8 एवं 512 लगायत 518 में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है। जिसका कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है बाहमी बंटवारा कर रखा है। अप्रार्थी सं 1 जो कि ग्राम लोटवाडा की निवासी है। दिनांक 17.09.20 को प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की मॉ को पेंशन के बहाने फर्जी तरीके से दस्तावेजात अपने नाम से दर्ज करवा लिया। यदि अप्रार्थिया अपने हिस्से को दीगर व्यक्तियों को रहन,वय करती है तो प्रार्थी को बेदखल करने में सफल हो जाती है तो प्रार्थी अपने हक से बंचित हो जावेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी

जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

हमने सायल के वकील को एकपक्षीय सुना व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित काश्त की आराजी है जिसका बाहमी बंटवारा पूर्व में हो चुका है। लेकिन गलत तरीके से आराजी का बेचान होने से प्रार्थी को अर्पूणनीय क्षति का अंदेशा है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 11.05.23 तक पाबंद किया जाता है कि उक्त वार्णित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। वास्ते तलबी दिनांक 11.05.23 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावर जिला दौसा

12.05.23 मंत्रालयिक कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मीनापाड़ा में दि. 25/5/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

25/5/23 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023
कैम्प ग्राम पंतायत ..मीनापाड़ा.......... में
पेश हुई। पक्षकारों में कोई सहमति नही हो सकी।
आगामी सुनवाई हेतु दिनांक.17.7.23.को पेश हो।
(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

[illegible] व [illegible] का [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बावत् [illegible] किया [illegible] [illegible] पेश होने पर पत्रावली आज तलब की गई । [illegible] [illegible] [illegible] कि पत्रावली प्रकरण है । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नियत है । इस प्रार्थना पत्र के संबंधित मूल वाद [illegible] के आधार पर खारिज हो चुका है । इस प्रार्थना पत्र को [illegible] चलाने का अब कोई औचित्य नहीं है । इसलिए प्रार्थना [illegible] कार्यवाही निष्प्रयोजन समाप्त होने से इसी स्तर खारिज किया जाता है । दिनांक [illegible] को जारी की गई [illegible] कार्यवाही निष्प्रयोजन निरस्त ([illegible]) की जाती है । पत्रावली [illegible] सुधार हेतु [illegible] के बाद की आवक बाद [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो [illegible]

[illegible]

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज रमेश बनाम रेवड़ी वगैरह मु.नं. 16/23 (टी.आई.)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-07-2023	वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बावत् विड्रो किया जाने वादपत्र पेश होने पर पत्रावली आज तलब की गई । प्रार्थी ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.07.2023 नियत है। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद, विड्रो के आधार पर खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर खारिज किया जाता है। दिनांक 12.04.2023 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (**Vacate**) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) उपखण्ड अधिकारी मंडावर(दौसा)	रमेश Identified, धर्मा सहाय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मण्डावर जिला दौसा

मु0नं0 18 /2023 (दावा)

रमेश बनाम रेवडी

वादपत्र

दिनांकः 12.04.23

यह वादपत्र वादी की ओर से श्री धर्मसिंह बैरवा एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की जावे। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 11.05.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावर जिला दौसा

12.05.23 मंगालयिक कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 के लिए प्राप्त की। दिनांक 25.05.23 को पत्रावली प्रशा. गांवो के संग अभियान 2023 कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत मीनापाड़ा में पेश हो।

25/5/23 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत मीनापाड़ा में पेश हुई। पक्षकारों में कोई सहमति नही हो सकी। आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 17/7/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज रमेश बनाम रेवड़ी वगैरह मु.नं. 18/23 (दावा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु
06.07.23	वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बावत् विड्रो किया जाने वादपत्र पेश होने पर पत्रावली आज तलब की गई । वादी ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.07.2023 नियत है। उक्त प्रकरण में उभय पक्षकारान एक ही समाज, परिवार के व्यक्ति है एवं उनके मध्य बाहमी तौर पर राजीनाम हो चुका है तथा हमारो मध्य हुये राजीनामे के कारण में उक्त उनवानी प्रकरण को आगे नही चलाकर विड्रो करना चाहता हूँ। उक्त पत्रावली को आज ही तलब कर इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनवानी प्रकरण को विड्रो किये जाने की इजाजत फरमाई जाकर वादपत्र को विड्रो के आधार पर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया। हमने वादी व उनके वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दावा अभी आरंभिक स्टेज पर है। दावा के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अड.चन नहीं होने से प्रार्थना पत्र बावत् किये जाने विड्रो दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर(दौसा)	रमेश Identified [illegible]